2010 का विधेयक सं. 6

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान–मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.–(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2006 के राजस्थान अधिनियम सं. 8 की धारा 2 का संशोधन.– राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम सं. 8) की धारा 2 के खण्ड (xxii) में विद्यमान अभिव्यक्ति ''नगर योजना'' के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति ''कम्प्यूटर उपयोजन'' के पूर्व आयी हुई विद्यमान अभिव्यक्ति ''फार्मेसी,'', हटायी जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में फार्मेसी पाठ्यक्रमों से संबंधित उपबंध राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 और राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, 2005 दोनों में विद्यमान हैं। राजस्थान सरकार ने विनिश्चित किया है कि फार्मेसी–पाठ्यक्रमों को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किया जाना चाहिए और फार्मेसी के पाठ्यक्रम संचालित करने वाली सभी संस्थाएं उस विश्वविद्यालय से संबद्ध होनी चाहिए।

इसलिए, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 2 को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है जिससे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की अधिकारिता से फार्मेसी–पाठ्यक्रमों को हटाया जा सके।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

महेन्द्र जीत सिंह मालवीय,

प्रभारी मंत्री।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006
(2006 का अधिनियम सं. 8) से लिये गये उद्धरण

XX **XX** **XX** **XX**

2. परिभाषाएं.—इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(i) से (xxi) XX XX XX

(xxii) ''तकनीकी शिक्षा'' से इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, स्थापत्यकला, प्रबंध, नगर योजना, फार्मेसी, कम्प्यूटर उपयोजन और अनुप्रयुक्त कला तथा शिल्प और ऐसे अन्य कार्यक्रमों, जो अ.भा.त.शि.प. द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित किये जायें, में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के कार्यक्रम अभिप्रेत हैं ;

(xxiii) से (xxvi) XX XX XX

XX **XX** **XX** **XX**

(Authorised English Translation)

Bill No. 6 of 2010

THE RAJASTHAN TECHNICAL UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 2010

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to amend the Rajasthan Technical University Act, 2006.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Technical University (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 8 of 2006.-In clause (xxii) of section 2 of the Rajasthan Technical University Act, 2006 (Act No. 8 of 2006), the existing expression "Pharmacy,", occurring after the existing expression "Town Planning" and before the existing expression "Computer applications", shall be deleted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present provisions regarding pharmacy courses exist both in the Rajasthan Technical University Act, 2006 and the Rajasthan Health Sciences University Act, 2005. The State Government has decided that the pharmacy courses should be conducted by the Rajasthan Health Sciences University and all the institutions conducting courses in pharmacy should be affiliated to that University.

Therefore, it is proposed that section 2 of the Rajasthan Technical University Act, 2006 be amended suitably so as to remove pharmacy courses from the jurisdiction of the Rajasthan Technical University.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

महेन्द्र जीत सिंह मालवीय,

Minister Incharge.

EXTRACT TAKEN FROM THE RAJASTHAN TECHNICAL UNIVERSITY ACT, 2006

(Act No. 8 of 2006)

xx xx xx xx

2. Definitions.- In this Act, unless the subject or context otherwise requires,-

(i) to (xxi) xx xx xx

(xxii) "technical education" means programmes of education, research and training in Engineering, Technology, Architecture, Management, Town Planning, Pharmacy, Computer applications and Applied Art & Crafts and such other programmes as the AICTE may, by notification in the Official Gazette, declare;

(xxiii) to (xxvi) xx xx xx

xx xx xx xx

Bill No. 6 of 2010

THE RAJASTHAN TECHNICAL UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 2010

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to amend the Rajasthan Technical University Act, 2006

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

H.R. KURI,
Secretary

(MAHENDRA JEET SINGH MALVIYA, **Minister-Incharge**)

<u>2010 का विधेयक संख्या–6</u>

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2010

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसा कि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

एच. आर. कुड़ी,
सचिव।

(महेन्द्र जीत सिंह मालवीय, **प्रभारी मंत्री**)